



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2477]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2477]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

**का.आ. 2825(अ).**—वायुयान नियम, 1937 के नियम 3क के उप-नियम (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार तारीख 4 अक्तूबर, 1994 के का.आ. 727(अ) द्वारा तारीख 6 अक्तूबर, 1994 को सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, पूर्ववर्ती नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

(क) पहली अनुसूची में, “संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन (संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन, अनुसंधान और विकास के सिवाय)” से संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात:—

“संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन	23 क के सिवाय सभी;”
--------------------------------	---------------------

(ख) दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 23 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात:—

“23क	नियम 30 का उप-नियम 07	वह वायुयान जिस पर केपटाउन अभिसमय या केपटाउन प्रोटोकॉल के उपबंध लागू हों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए।”
------	-----------------------	---

[फा. सं. ए. वी. 11012/13/2010-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम तारीख 4 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ.727 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 4 जुलाई, 2014 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित का.आ. 1693(अ) द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**  
(DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2017

**S.O. 2825(E).**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 3A of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Civil Aviation and Tourism published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th October, 1994 vide number S.O. 727(E), dated the 4th October, 1994, namely:—

In the said notification—

- (a) in the First Schedule, for the entries relating to “Joint Director General of Civil Aviation (except Joint Director General of Civil Aviation, Research and Development)”, the following shall be substituted, namely :—

“Joint Director General of Civil Aviation	All except 23A”;
---	------------------

- (b) in the Second Schedule, after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“23A	Sub-rule (7) of rule 30	To cancel registration of an aircraft to which the provisions of the Cape Town convention or Cape Town Protocol apply.”.
------	-------------------------	--

[F. No. AV.11012/13/2010-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 727(E), dated the 4th October, 1994 and last amended *vide* number S.O. 1693(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th July, 2014.